महत्वपूर्ण एवं खास

मासूम से गैंगरेप करने वाले चार दरिंदों पर गिरी गाज, विभाग ने किया सस्पेंड

मनेंद्रगढ़-रायपुर (आरएनएस)। जिले के जनकपुर में नाबालिग छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. पुलिस की कार्रवाई के बाद चारों आरोपी सरकारी नौकरी में जिस-जिस विभाग में पदस्थ थे उनपर विभागीय कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है. वन विभाग की कार्रवाई के बाद अब एक और कार्रवाई की गई है. लोक शिक्षण संचनालय ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपी प्रिंसिपल अशोक कुमार कुशवाहा और लेक्चरर कुशल सिंह परिहार को सस्पेंड किया है. यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के पत्र के आधार पर की गई है. बता दें कि गैंगरेप मामले में इससे पहले वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए वन मंडल मनेंद्रगढ़ में पदस्थ आरोपी उप वन क्षेत्रपाल (डिप्टी रेंजर) बनवारी सिंह को निलंबित किया है. यह निलंबन आदेश मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनवृत्त अंबिकापुर से जारी हुआ है।

ट्रैक्टर पलटने से दो लोग गंभीर

महासमुंद-रायपुर (आरएनएस)। जिले में एक दर्दनाक सडक़ हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि दो लोगों को गंभीर चोट आई है। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, घटना पटेवा थाना क्षेत्र का है। जहां एनएच-53 पर रायतुम के पास एक ट्रैक्टर पलट गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में 6 लोग सवार थे। जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस: खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 2 दिसम्बर को

रायगढ़। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसम्बर को दिव्यांगजनों की कलात्मक प्रतिभा एवं खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा उनकी प्रतिभा को निखारने के लिये प्रेरणात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके तहत इस वर्ष 02 दिसम्बर को कि.शा. कला एवं विज्ञान महा. रायगढ़ के लाल मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा 03 दिसम्बर को पॉलीटेक्निक ऑडिटोरियम हॉल में दिव्यांगजनों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिसमें खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त स्वैच्छिक संस्थाएं उक्त खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। उपरोक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

246 पदों पर भर्ती के लिए पीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 246 पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य पुलिस सेवा सहायक संचालक, डिप्टी कलेक्टर, जेल अधीक्षक, राज्य वित्त सेवा अधिकारी जैसे 17 अलग-अलग विभाग के पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी का फॉर्म 1 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस संबंध में विभागीय नोटिफिकेशन आज 26 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। बता दें छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 246 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा।

कसडोल के एक मकान में 688 बोरी अवैध धान जब्त

- 25 प्रकरण में अब तक 1736.40 क्विंटल अवैध धान जप्ती की हुई कार्यवाही
- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर धान परिवहन, भण्डारण,
- कोचियों, बिचौलियों पर लगातार कार्यवाही जारी

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिले में अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान तथा कोचियों, बिचौलियों द्वारा धान की अवैध खरीदी एवं बिक्री पर लगातार कार्यवाही जारी है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अवैध धान के परिवहन एवं भण्डारण के दौरान जिले में अब तक 25 प्रकरण में 1736.40 क्विंटल धान जप्त करते हुए मंडी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

इसी कड़ी में आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा तहसील तमनार के ग्राम कसडोल में युधिष्ठिर साहू के मकान सह दुकान से 688 बोरी मोटा पुराना धान वजन 267.20 क्विंटल जब्त किया गया। जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार तमनार, मंडी उप निरीक्षक, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक तमनार के द्वारा संयुक्त रूप से मंडी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी के दौरान अवैध धान की आवक रोकने सीमावर्ती इलाकों में 14 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जहां 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए निगरानी दल तैनात है।

जिले में संयुक्त दल द्वारा अवैध धान के भण्डारण एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुसौर के छिछोरउमरिया में अवैध रूप से 127 बोरी 50.80 क्विंटल धान भण्डारित पाया गया। इसी तरह रायगढ़ के इंदिरा विहार रोड में अवैध रूप से 288 बोरी 115.20 क्विंटल , रायगढ़ के ग्राम-तिलगा में 40 बोरी 16 क्विंटल , लैलूंगा के झगरपुर में 180 बोरी 72 क्विंटल एवं 100 बोरी 40 कं्विटल, लैलूंगा के रतनपुर में 150 बोरी 60 क्विंटल , लैलूंगा के अटल चौक मुड़ापारा में 20 बोरी 8 क्विंटल धान, लैलूंगा के लमडांड में 150 बोरी 60 क्विंटल एवं 36 बोरी 14.40 क्विंटल, लैलूंगा रोड घरघोड़ा में 150 बोरी 60 क्विंटल , खरसिया के जोबी में 40 बोरी 16 क्विंटल, खरसिया के ऐड़ुपुल चौक देहजरी में 25 बोरी 10 क्विंटल, खरसिया के डोमनारा में 200 बोरी 80 क्विंटल, खरसिया के कुर्रूभांठा में 50 बोरी 20 क्विंटल, घरघोड़ा के कुडुमकेला में 275 बोरी 110 क्विंटल, घरघोड़ा के फगुरम में 40 बोरी 16 क्विंटल , तमनार के पडिग़ांव में 296 बोरी 118.40 क्विंटल, तमनार के धौराभांठा में 430 बोरी 172 क्विंटल एवं 150 बोरी 60 क्विंटल , धरमजयगढ़ के विजयनगर में 155 बोरी 62 क्विंटल , धरमजयगढ़ के कापू में 62 बोरी 24.80 क्विंटल एवं 452 बोरी 180.80 क्विंटल , धरमजयगढ़ के खम्हार में 125 बोरी 50 क्विंटल तथा ग्राम-पलगड़ा चौक में सक्ती से आ रहे 132 बोरी 52.80 क्विंटल अवैध धान की जप्ती की गई है।

जिला चिकित्सालय एवं मातृ शिशु अस्पताल का सीएमएचओ ने किया निरीक्षण, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के दिए निर्देश

रायगढ़

जिला चिकित्सालय एवं मातृ-शिशु अस्पताल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा द्वारा आज निरीक्षण किया गया तथा संस्थागत प्रसव कराने एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए सभी प्रसव संस्था में कराने हेतु कहा गया। प्रसव की अंतिम तिथि के लाइनलिस्टिंग कर 15 दिन पूर्व संबंधित क्षेत्र के महिला सुपरवाईजर, आर.एच.ओ.मितानिन विजिट के दौरान काउंसिलिंग करने के निर्देश दिए गए। ए.एन.एम द्वारा गृह भेंट के दौरान उसकी गहनता को बताते हुए मरीज को आयरन, गोली, कैल्शियम दवा का सेवन करने हेतु समझाईश दिया गया। चिकित्सालय के आईपीडी, ओ.पी.डी, स्टोर शाखा, ओ.आर.एस कार्नर, दवाईयों के स्टॉक का निरीक्षण किया। 24&7 सेवाएं अधिकारी/कर्मचारी गुणवत्तापूर्वक करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही एनीमिक महिलाओं को एनीमिया से बचाव व खान पान पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये। हाई रिस्क गर्भवती महिला वार्ड, ओपीडी का निरीक्षण कर चिकित्सा अधिकारियों / कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अस्पतालीन व्यवस्था बनाये रखने हेतु मलेरिया रक्त पट्टी, टी.बी. स्पुटम स्लाइड की जांच बढ़ाने तथा कॉम्बेक्ट टीम गठित कर पर्याप्त मात्रा में दवा की उपलब्धता बनाये रखने हेतु निर्देश दिया गया।

छत्तीसगढ़ के अजय मंडल को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख में खरीदा, शशांक सिंह को पंजाब ने किया रिटेन

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के ऑलराउंडर बल्लेबाज अजय मंडल को आईपीएल 2025 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख के बेस प्राइज में खरीदा है। इससे पहले अजय दो वर्षो तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे थे, जहां उन्हें 20 लाख के बेस प्राइज में खरीदा गया था।

इस बार उन्हें दिल्ली ने अपने साथ जोड़ा है।

प्रदेश के शशांक सिंह को पंजाब किंग्स ने रिटेन किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अजय मंडल ने तीनों फॉर्मेट में अपनी शानदार प्रदर्शन क्षमता साबित की है। 2023-24 रणजी ट्रॉफी में अजय ने पांच मैचों की नौ पारियों में 11 विकेट चटकाए और बल्लेबाजी में सात पारियों में 145 रन बनाए।

वहीं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सात मैचों में उन्होंने नौ विकेट लिए और सात पारियों में 109 रन बनाए। विजय हजारे ट्रॉफी के सात मैचों में आठ विकेट और 120 रन बनाए। इसके अलावा, सीसीपीएल के छह मैचों में अजय ने चार विकेट लिए और छह पारियों में 99 रन बनाए।

चोरी टुल्लु पंप के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, चौकी खरसिया पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़

चोरी और नकबजनी के मामलों में आरोपियों की पहचान और बरामदगी के लिए रायगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता हाथ लगी है। चौकी खरसिया पुलिस ने आज दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुए टुल्लु पंप और तार बरामद किया है।

घटना के संबंध में 27 अक्टूबर को प्रार्थी चंद्र कुमार राठौर, निवासी रतनमहका, ने चौकी खरसिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके खेत की सिंचाई के लिए लगाए गए 2 एचपी के टुल्लु पंप को 19-20 नवंबर की रात किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। इस रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 636/2024, धारा 303(2) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संजय नाग के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान पुलिस ने पुरानी बस्ती पनखतियापार के दो संदिग्ध युवकों विजय केंवट (20) और विकास निषाद (31) को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद दोनों ने चोरी की बात स्वीकार की और बताया कि उन्होंने मिलकर नहर किनारे से टुल्लु पंप और तार चोरी किया। आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने चोरी किए गए 2 एचपी टुल्लु पंप और तार, जिनकी कुल कीमत रु.8,000 है, बरामद की।

गिरफ्तार आरोपी विजय केंवट और विकास निषाद को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संजय नाग, सहायक उपनिरीक्षक मनोज पटेल, प्रधान आरक्षक शिव वर्मा और आरक्षक मुकेश यादव एवं भगत राम टंडन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ ठंड का प्रकोप, लगातार गिर रहा पारा, रायपुर में टूटा 12 साल का रिकॉर्ड

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ तापमान गिरने का दौर शुरू है। रायपुर का पारा गिर कर 14.4 डिग्री और शहर के आउटर में पारा 13 डिग्री पर पहुंच गया है। आंकड़े के मुताबिक रायपुर में बीते 12 साल का रिकार्ड टूट गया है।

वर्ष 2011 में नवंबर में 12.4 डिग्री दर्ज किया गया था। बीते तीन दिनों में पांच दिनों में पांच से छह डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है।

मौसम विभाग के मुताबिक आगामी पांच दिनों में उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। आगामी तीन दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक से तीन डिग्री तक की वृदि होने की संभावना है। बतादें कि अभी प्रदेश का औसत तापमान 8 से 15 डिग्री सेल्सियस तक है।

सरगुजा में पारा 9 डिग्री पर

अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 9.7 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां न्यूनतम तापमान समान्य से 3.6 डिग्री तक कम हो गया है। पेंड्रा, कोरिया और नारायणपुर में अधिकतम तापमान 25.9 और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा दुर्ग का पारा समान्य से पांच डिग्री तक गिर गया है। इसके अलावा रायपुर माना में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री तक कम हो गया है।

राजधानी में भी तापमान में गिरावट दर्ज किए जा रहे हैं। नवंबर माह में बीते साल से अधिक तापमान गिर चुका है। आने वाले पांच दिनों में तापमान में गिरावट नहीं होगी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिन का 30 डिग्री और रात का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। दुर्ग जिले में तेजी से पारा गिर रहा है। पहली बार ऐसा देखा गया गया है कि नवंबर माह में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम हो गया है।

मॉर्निंग वॉक में निकली महिला को ट्रक ने रौंदा, दो अन्य महिलाएं बुरी तरह से घायल

जांजगीर-चांपा । आरएनएस

शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के सामने आज सुबह एक तेज रफ्तार छोटा कंटेनर वाहन के चालक ने मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है वहीं दो बुरी तरह से जख्मी हैं। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

आज सुबह करीबन 6.30 बजे लक्ष्मी भारद्वाज, ज्योति यादव और सुनीता बरेठ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। पुलिस लाईन के पास सडक़ में पैदल चल रहे थे। इस दौरान डाक पार्सल लिखा तेज रफ्तार छोटा कंटेनर वाहन पीछे से आकर तीनो महिलाओं को अपनी चपेट में लेते हुए जोरदार ठोकर मारी,हादसे में तीनो एक दूसरे से दूर जा गिरी, वहीं लक्ष्मी भारद्वाज के सिर पर गंभीर चोट आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गयी। ज्योति यादव और सुनीता बरेट को गंभीर हालत में जिला अस्पताल जांजगीर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि पुलिस लाईन में पदस्थ आरक्षक प्रवीण भारद्वाज की पत्नी लक्ष्मी भारद्वाज की मौत हुई है। छोटा कंटेनर वाहन और चालक को पकड़ा लिया गया है। थाने में अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

मेडिकल कॉलेज का 15 दिनों में परिवाद समिति का गठन करने तथा जांच करने का आयोग ने दिया आदेश

- 5 साल का बच्चा बना जज, सुनाया फैसला मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है, आयोग की समझाईश पर सुलह करने पति-पत्नी तैयार
- सभी शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालियों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन आवश्यक रूप से होना जरुरी

रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक एवं सदस्य सरला कोसरिया, प्रियंवदा सिंह जूदेव, लक्ष्मी वर्मा ने आज कलेक्टोरेट रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रस्तुत 25 प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 289 वीं एवं रायगढ़ जिले में 8 वीं सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष को विस्तार से सुना गया। आवेदिका की शिकायत पर आंतरिक परिवाद समिति का नियमानुसार गठन और कार्यवाही होना प्रतीत नहीं होता है व पूर्ण प्रक्रिया का पालन भी नहीं हुआ। कॉलेज के प्रवेश द्वार के सामने आंतरिक परिवाद समिति का पोस्टर भी डिस्प्ले होना और विधिवत कार्यवाही नहीं हुई है। इस हेतु सखी के प्रोटेक्सन ऑफिसर को आयोग की ओर से अधिकृत किया जाता है एवं कॉलेज में आंतरिक परिवाद समिति का गठन कराने हेतु निर्देशित किया गया। दो माह में आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे ताकि उसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में प्रभारी सदस्य के संपर्क में रहेंगे। रिपोर्ट मिलने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही किया जाएगा।

अन्य प्रकरण में 19 छात्रायें प्रस्तुत हुई, जिसमें अनावेदक पक्ष के साथ में कॉलेज के डीन उपस्थित हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी छात्रों से अलग कमरे में बयान लिये गए। बंद कमरे में एक-एक छात्रा से अलग-अलग बयान लिया गया। जिसमें किसी भी छात्रा ने अनावेदक के विरोध में कोई शिकायत नहीं बताया है। सदस्य सरला कोसरिया, प्रियंवदा सिंह जूदेव के द्वारा बंद कमरे में एक-एक छात्रों से बयान लिया गया। इस प्रकरण की जांच में यह सामने आया की विधिवत तरीके से मेडिकल कॉलेज में आंतरिक परिवाद का गठन और कॉलेज के मेन गेट के पास आंतरिक परिवाद समिति का बोर्ड नहीं लगा है। इस पर अनावेदक के साथ उपस्थित मेडिकल कॉलेज के डीन को विधिवत जानकारी दिया गया और 15 दिवस के अंदर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के लिए आयोग ने आदेशित किया गया।

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया की वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य सुलह हो गयी है व आवेदिका प्रकरण वापस लेना चाहती है। 02 माह से साथ रह रहे है, प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। इसी तरह अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित अनावेदक क्रमांक 02 अनुपस्थित आवेदिका डी.एल.एड. की पढ़ाई कर रही थी। अनावेदक क्रमांक 01 सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा आवेदिका को फीस जमा नहीं किये जाने कहकर परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया चूंकि आज अनावेदक क्रमांक 02 अनुपस्थित है। जिस हेतु थाना चक्रधर नगर के माध्यम से आगामी सुनवाई हेतु 16 जनवरी 2025 को रायपुर बुलाया गया। अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका ने बताया की ससुराल पक्ष (पति, ससुर, सास) द्वारा जहर खिलाया था। आवेदिका मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। चार-पांच दिन बाद आवेदिका के पिता द्वारा थाना जूटमिल में शिकायत किया गया परन्तु एफआईआर दर्ज नहीं किया गया व पुलिस द्वारा काउंसलिंग करके न्यायालय जाने का सलाह दिया। दोनों पक्ष को सुनने पश्चात मामला दहेज प्रताडऩा एवं जहर देकर मारने का लग रहा है। पुलिस अधीक्षक को डीपीओ के माध्यम से ऑर्डरसीट व शिकायत आवेदन आज ही भेजे जाने 01 माह के अदर आयोग को रिपोर्ट प्रेषित किये जाने कहा गया।

अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित दोनों का साढ़े पाँच वर्ष का पुत्र है। बच्चे ने कहा कि वह मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहता है। दोनों पक्षों का कानूनी प्रक्रिया चल रहा है। जिसको लेकर ईकरारनामा बनाया जाना आवश्यक है। 3 दिसम्बर 2024 को दोनों पक्ष को अपने अपने ईकरारनामा लेकर रायपुर बुलाया गया एवं निरंतर सखी की प्रशासिका एवं प्रोट्रेक्शन ऑफिसर की निगरानी में रहेंगे। अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित अनावेदक सहायक ग्रेड-02 पर तहसील में पदस्थ है एवं पहली पत्नी से तलाक लिये बिना दूसरा विवाह किया गया है। इसमें आवेदिका ने न्यायालय में अपराधिक परिवाद दायर कर सकती है। आवेदिका को आवेदन एवं नोटशीट की कॉपी नि:शुल्क देते हुये प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480